बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या -2/स्था0-01-46/2010/3539/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/10/11

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005(2005 का 53) की धारा -14 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों की संदाय) नियमावली 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा परामर्शदातृ समिति के सदस्यों की भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी ।

   (2) यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगीः

   परंतु प्राधिकार के विद्यमान उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मामले में यह उनके अपने पद पर योगदान की तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी।

2. आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों का संदाय) नियमावली -2008 के नियम 4 का उपनियम (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

(v)(a) राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नामित व्यक्ति अपने लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकेगा :-

(i) बिहार सरकार में मुख्य सचिव कोटि के पदाधिकारियों को अनुमान्य वेतन (यदि सेवानिवृत्त पदाधिकारी हों तो पेंशन की रकम घटाकर), महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता (सरकारी आवास नहीं मिलने पर), चिकित्सा सुविधाएँ, यात्रा भत्ता, यात्रा रियायत भत्ता तथा अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के अनुसार सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश;

अथवा

(ii) बिहार राज्य के मंत्री को अनुमान्य वेतन, दैनिक भत्ता एवं पेंशन (यदि सेवानिवृत पदाधिकारी हों तो महंगाई राहत घटाकर) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली 2006, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार मंत्री को अनुमान्य आवास, चिकित्सा सुविधाएँ एवं यात्रा भत्ता।

(b) राज्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से निम्न विकल्प का चयन कर सकते हैं :-

(i) बिहार सरकार में प्रधान सचिव को अनुमान्य वेतन (यदि सेवानिवृत पदाधिकारी हों तो पेंशन की रकम घटाकर), महंगाई भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएँ, यात्रा भत्ता, यात्रा रियायत भत्ता तथा अखिल भारतीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली-1955 के अनुसार सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश;

अथवा,

(ii) बिहार राज्य के राज्यमंत्री को अनुमान्य वेतन, दैनिक भत्ता एवं पेंशन (यदि सेवानिवृत पदाधिकारी हों तो महंगाई राहत घटाकर) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली-2006, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार राज्य मंत्री को अनुमान्य आवास, चिकित्सा सुविधाएँ एवं यात्रा भत्ता।

परंतु, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन एवं भत्ते अथवा अन्य सेवा शर्तों में उनके हित विरूद्ध कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रामरूप सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 3539 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/10/11

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । अधिसूचना की सी.डी. एवं हार्ड कॉपी इसके साथ अनुलग्न है ।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 3539 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/10/11

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 3539 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/10/11

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ संयुक्त सचिव(स्थापना)/ संयुक्त सचिव(बि0रा0आ0प्र0प्रा0)/ उप सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (बि0रा0आ0प्र0प्रधिकार), पटना/लेखापाल, (बि0रा0आ0प्र0 प्राधिकार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 3539 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/10/11

प्रतिलिपि :- सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

E:\2011\Sanlekh\Rules regarding Sal-DA and service 2 Date-9.9.11.doc